सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

ईएसआईसी गुजरात का हाथ राज्य के श्रमिकों-कामगारों के साथ

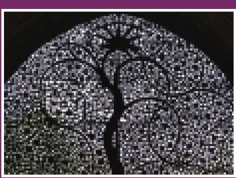
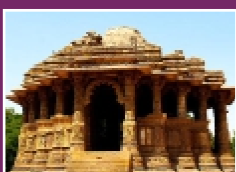
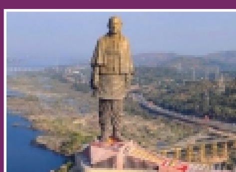

प्रस्तावना

देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर स्वयं को इस योजना का पहला बीमित व्यक्ति बनाया था तब दो राज्यों से शुरू हुई, यह योजना आज देशभर में कितने करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एवं उनके जीवन को बेहतर बनाती आ रही है।

हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम वृद्धावस्था, मृत्यु, विकलांगता, मातृत्व, मेडिकल जरुरतों बेरोजगारी के दुरूह समय में अपने कामगार बंधुओं के लिए लगातार मददगार साबित हुआ है। ऐसी ढेरों रिपोर्ट्स हैं, कहानियां हैं, जब हमारे श्रमिक वर्ग ने अपने अंदाज में, अपने शब्दों में हमारे काम के लिए हौसला अफजाई की है। हमारी हितलाभ टीम ने सोचा कि कुछ ऐसे वाकये आप तक पहुंचाए जाएं।

आज से एक साल पहले जब मैंने क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभार लिया, तो एक दिन एक ऐसा किस्सा सामने आया, जहाँ पर मेरी टीम ने न सिर्फ एक स्वर्गवासी बीमित व्यक्ति के दावे का निपटान किया बल्कि आश्रितों को खोजकर उन तक यह हितलाभ पहुंच सके इसलिए खूब मेहनत की। उन दो मासूम बच्चों का चेहरा एवं उनकी माता द्वारा यह कहा जाना कि आज जो इस निगम से मिला है उससे मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। ऐसे और भी कई लोग और परिवार होंगे जिनके जीवन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने अंदाज में छुआ होगा। और सही मायने में इस योजना की स्थापना के पीछे की सोच को सार्थक किया होगा।

इस पहल को पूरा करने में श्री गौतम कुमार, उप निदेशक, श्री निखिल कुमार, सहायक निदेशक, सुश्री तन्वी मेकवान, श्री कमल राम प्रजापत, राजभाषा शाखा एवं हितलाभ शाखा ने अपना भरपूर सहयोग किया। इसके लिए उन्हें साधूवाद एवं शुभकामनाएं देता हूं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इस 69 वें स्थापना दिवस पर आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ऐसी सत्य घटनाएं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जो मेरे इस योजना से जुड़े होने के अर्थ को सार्थक करती हैं एवं हमारे जीवन की असली जमा पूंजी हैं। एक–एक घटना एसिक (ESIC) के लक्ष्य को ना सिर्फ उजागर करती है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के मूल अर्थों को साकार करती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बदलती परिस्थितियों एवं बदलते दौर के साथ अपनी योजना में हर वे बदलाव किए हैं जिससे देश के कार्मिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो एवं कल्याण हो।

मैं यह पुस्तक अपने कार्मिकों एवं अधिकारियों को समर्पित करता हूँ क्योंकि यह उनकी लगन एवं परिश्रम का ही परिणाम है कि आज कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने आदर्शों को सिद्ध करता हुआ हर रोज एक नई ऊंचाई छू रहा है।

– रत्नेश कुमार गौतम
अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

01 श्री विजय परमार – बीमा संख्या 3711998611 (भावनगर शाखा कार्यालय)

श्री विजय परमार

श्री विजय परमार आनंद नगर, भावनगर में रहते हैं। वह पिछले दो–तीन साल से मैसर्स जीत मैनपावर कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी सहित दो बच्चे हैं। वह निम्न आय वर्ग में आते हैं और एक कमरे के किराये के मकान में रहते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस वो नहीं भर सकते। उनकी ज्यादातर आमदनी घरेलु काम और दो समय के भोजन में चली जाती हैं इसलिए उनके पास कोई बचत नहीं है। उनकी पत्नी उनको सहयोग करने के लिए कपडे सिलती हैं।

देशभर में लगे लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने उनको काम पर रखा, परन्तु जून के महीने में कंपनी वालों ने उनको बुलाया और आगे से काम पर आने के लिए मना कर दिया क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही थी। उनको और उनकी पत्नी को धक्का लगा क्योंकि बिना मासिक आय के गुजारा कैसे हो। उस समय हर आदमी पैसों की तंगी से गुजर रहा था इसलिए उनकी पत्नी का काम भी ठप्प पड़ गया। उन्होंने अपने प्रबंधक से आधी तनख्वाह में भी काम पर रखने के लिए गुजारिश की। उन्होंने बार–बार कोशिश की, परन्तु हर बार उनके कंपनी के मुख्यालय दिल्ली से मना कर दिया गया। वो बहुत निराश हुए। बच्चों के दो वक्त के खाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने दैनिक मजदूरी का काम शुरू कर दिया, जिसमें वो मात्र 200 से 250 रूपये रोजाना कमा पाते थे, परन्तु बेरोजगारी में बढ़ोतरी के कारण हफ्ते में मुश्किल से दो या तीन दिन ही काम मिल पाता था।

लॉकडाउन से पहले उनकी मासिक आय रूपये 8500 और उनकी पत्नी की आय रूपये 2000–2500 मासिक थी परन्तु ऐसे हालातों में उनकी पारिवारिक आय रूपये 2000 से 2500 मासिक ही रह गई। उनके बच्चों को दो वक्त का खाना देने के लिए उन्होने स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याजदर पर पैसा ले लिया। उनमें से ज्यादातर ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था और पैसे लौटाने का कोई जरिया नहीं था। आखिरकार उनको एक साहूकार मिल गया जो दो प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याजदर पर पैसा देने के लिए राजी हो गया। उन्होंने पंद्रह हजार रूपये उधार ले लिए और कुछ घरेलु सामान ले आये। वो जानते थे कि ये सारा पैसा वो खर्च नहीं कर सकते क्योंकि अब कहीं से भी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी।

परिवार के लोगों से मिली मदद और रोज की छोटी–मोटी मजदूरी के सहारे जैसे–तैसे करके, उन्होंने इस पंद्रह हजार रूपये से छह महीने गुजार दिए। लेकिन इन पैसों के खत्म होने के बाद वो फिर से निराशा में डूब गये। क्योंकि पारिवारिक खर्च और बच्चों की पढाई लिखाई के खर्चों के लिए उनको फिर से पैसों की जरुरत पड़ने लगी। इसी दौरान, उनके किसी मित्र, जो कि किसी दूसरी जगह काम करता था, ने

ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में बताया। इसलिए इन्होंने ईएसआईसी के भावनगर शाखा कार्यालय में इस योजना के बारे में पता किया। शाखा कार्यालय के स्टाफ ने उनको पूरी जानकारी दी और उनके लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में उनका दावा प्रस्तुत करवा दिया। शाखा कार्यालय ने उनको बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड को अटेच करने और दावे को नोटेराइज्ड करने को कहा। उन्होंने शाखा कार्यालय में अपना फ़ॉर्म प्रस्तुत कर दिया। वह दावे के भुगतान के विषय में निश्चित नहीं थे और इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरुरत थी इसलिए वे एक बार फिर साहूकार के पास पैसे मांगने चले गये। लेकिन साहूकार ने उनको पैसा देने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि वे पिछले पैसे की दो किश्त समय पर नहीं चुका पाए थे। उन्होंने पहले पुरानी किश्तें चुकाने के लिए कहा और इसके बाद ही और पैसा देने की बात कही। इसलिए तीन दिन बाद वे फिर से ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में यह जानने के लिए पहुंचे कि पैसा मिलने में और कितना समय लगेगा। उनको यह जानकर खुशी हुई कि शाखा कार्यालय ने उनके दावे की प्रक्रिया पूरी कर दी है और उन्होंने पहले से ही जीत हाउसकीपिंग के मुख्यालय में संपर्क कर जरुरी कागजात सौंप दिए हैं। उन्होंने अपने मुख्य कार्यालय में संपर्क किया और प्रक्रिया को तेज करने को कहा। दिनांक 10.02.2021 को उनको बैंक से एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताया गया कि उनके खाते में 12,936/– रूपये जमा हुए हैं। यह जानकर उनको बहुत खुशी हुई और राहत मिली। वे तुरंत अपने बैंक गये और इस बात की तस्दीक करने के लिए पासबुक में एंट्री करवाई। इसके बाद उन्होंने अपने खाते से 10,000/– रुपये निकलवाए और साहूकारों के कुचक्र से बचने के लिए उनके 10,000/– रूपये लौटा दिए। बचा हुआ पैसा उन्होंने अपने दूसरे खर्चों के लिए रख लिया। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी और भावनगर के शाखा कार्यालय के स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसे बुरे समय में उनको व उनके परिवार को बचाने में भारी मदद की।

(जैसा कि श्री विजय परमार ने फोन पर बताया) फोन नं.9265566766)

सौजन्य:
देवांग अरविंदकुमार यादव,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, भावनगर

"अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना: श्रम को आर्थिक सम्बल और स्वाभिमान का सम्मान"

02 श्री रुदल यादव – बीमा संख्या 3710580071
(भावनगर शाखा कार्यालय)

श्री रुदल यादव

यह घटना श्रीमती धन्वन्तरी देवी यादव से संबंधित है, जिनके पति का नाम रुदल यादव है । उनकी शादी 1997 में हुई थी। उनके तीन बच्चे निशा, कृष्ण कुमार और सनी हैं। वे जमींदारों के यहाँ खेती का काम करते थे। उनको मुश्किल से दो समय का खाना मिल पाता था। उनके परिवार में पहले कम सदस्य होने के कारण आसानी से गुजारा हो जाता था परन्तु 2005 आते आते उनके परिवार में पाँच सदस्य हो गए और इसके चलते उनके लिए जीवन हेतु जरुरी सुविधाएँ इलाज और भरपेट खाना मिलना मुश्किल हो गया। बहुत सी ऐसी रातें थी जब उन्हें भूखे पेट सोना पडता था।

वे उत्तरप्रदेश के छोटे से गाँव बलिया के रहने वाले थे। उन्होंने गुजरात के अलंग के बारे में सुना था कि वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। अलंग में काम करने वाले उनके कई रिश्तेदार अपने बच्चों की पढाई व विवाह कर पाने में सफल हो पाए थे। इसलिए उनके पति रुदल यादव ने अलंग जाने का फैसला किया। 2012 में रुदल काम करने के लिए अलंग चले गए। शुरू में वह 10,000 से 11,000 रूपये हर महीने कमाने लग गए थे। वे तीन से चार हजार रूपये अपने पर खर्च करने के बाद बाकी के पैसे परिवार के लिए भेज दिया करते थे। अब वे उनके बच्चों को दो समय का खाना दे पा रहे थे। लेकिन 25.12.2013 को श्रीमती धन्वन्तरी देवी को उनके पति के ऑफिस से कॉल आया कि किसी दुर्घटना के कारण उनके पति को गंभीर चोट आई है और उनकी स्थिति गंभीर है। इस समाचार से उनके परिवार को बहुत सदमा लगा। कोई साधन ना मिलने के कारण वह अपने पति के पास नहीं जा सकी और अपने बच्चों को अकेला छोड़ने का जोखिम भी नहीं उठा पाई। उनके परिवार के 2–3 सदस्यों ने जैसे–तैसे कोई व्यवस्था की और ट्रेन से अलंग पहुँच गये। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उनको पता लगा कि उनके पति को नहीं बचाया जा सका। उनके परिवार के सदस्यों ने उनके पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को लेकर वापस आ गए। उनका जीवन बर्बाद हो गया और उन्हें यह डर सताने लगा कि अब आगे का जीवन कैसे गुजरेगा।

लेकिन ईएसआईसी उनके जीवन में संकटमोचक बनकर आई। उनके पति की कंपनी ने उन्हें सूचित किया कि उनके पति रुदल ईएसआईसी के बीमाकृत व्यक्ति थे अतः उनको ईएसआईसी से **आश्रितजन हितलाभ (पेंशन)** मिलेगी। उन्होंने ईएसआईसी के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि जमा करवा दिए। ईएसआईसी के स्टाफ का बहुत सहयोग रहा और उन्होंने उनसे लगातार संपर्क बनाये रखा व अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रूपये तुरंत दे दिए गये ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। उनकी और उनके बच्चों की पेंशन चालू कर दी गई। उनको शुरू में 7,565 रूपये हर महीने मिलने लगे। यह पैसा उनके लिए वरदान साबित हुआ। इस पैसे से उनको न केवल समय पर भरपेट खाना मिलने लगा बल्कि उचित इलाज और पढ़ाई आदि भी होने लगी। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी उनके लिए भगवान से कम नहीं।

सौजन्यः
देवांग अरविंदकुमार यादव,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, भावनगर

03 श्री जाकिर हुसैनभाई – बीमा संख्या 3707302889 (सुरेंद्रनगर शाखा कार्यालय)

श्री जाकिर हुसैनभाई

श्री जाकिर हुसैनभाई अपनी पत्नी श्रीमती रुकसानाबेन और अपने दो बच्चों (इफ्तियार और नाबालिग नौशाद) के साथ रहते हैं और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर है।

डीसीडबल्यू कम्पनी जो की ध्रांगधरा में स्थित है जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय सुरेंद्रनगर के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वहाँ बीमित श्री जाकिर हुसैन, बीमा संख्या – 3707302889 दिनांक 17.02.1994 से कार्यरत हैं। दिनांक 23.05.2019 को उन्हें लेफ्ट साइड हेमगेजिया के कारण श्रीजी अस्पताल ध्रांगधरा में भर्ती कराया गया था। वहाँ उनको पता चला कि वह हेमगेजिया बीमारी से पीडित हैं। उसके बाद उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से 91 दिनों का बीमारी हितलाभ दिया गया था। बीमित जिस बीमारी से पीडित थे वह बीमारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विस्तारित बीमारी की सूची में उपलब्ध है। ऐसी विस्तारित बीमारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 730 दिनों तक वेतन का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। श्री जाकिर हुसैनभाई को विस्तारित बीमारी का लाभ मिल रहा है, जो उनके परिवार के जीवन यापन के लिए एक मजबूत आधार बना हुआ है।

सौजन्य:
उमेश गुप्ता, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, सुरेंद्रनगर

> “बीमारी के कारण अवकाश का मतलब आय अर्जन समाप्त होना नही है: चिकित्सा छुट्टी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 70% नकद भुगतान सीधे बैंक खाते में”

04 श्री वेलसिभाई शंकरभाई – बीमा संख्या 3703971446 (सुरेंद्रनगर शाखा कार्यालय)

श्री वेलसिभाई शंकरभाई

श्री वेलसिभाई शंकरभाई, बीमा सं. 3703971446 अपनी पत्नी श्रीमती हीराबेन और अपने दो बच्चों के साथ सुरेंद्रनगर में रहते हैं। वे मैसर्स श्री रंगम सिरेमिक (कोड नंबर – 37000027550000503) में दिनांक 01.04.2008 से कार्यरत हैं। दिनांक 16.08.2018 को बीमित श्री वेलसिभाई अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद घर जा रहे थे। उस समय शाम के 5 बजे एक सडक दुर्घटना के कारण उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था।

शाखा प्रबंधक द्वारा दुर्घटना की जांच की गई और दुर्घटना मामले को क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा रोजगार चोट के रूप में स्वीकार किया गया और बीमित को 193 दिनों के लिए अस्थायी अपंगता हितलाभ का भुगतान किया गया जो कि कुल वेतन का 90 प्रतिशत दिया जाता है।

बीमित को दुर्घटना के कारण उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर के कारण कार्य करने में परेशानी लम्बे समय तक होने के कारण शाखा प्रबंधक ने मेडिकल बोर्ड में भेजा। इसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा बीमित को स्थाई अपंगता का हितलाभ 3 प्रतिशत की दर पर दिया गया। यह हितलाभ किसी भी व्यक्ति को उसकी स्थाई अपंगता के लिए उसके जीवनभर दिया जाता है।

श्री वेलसिभाई शंकरभाई, एक वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी आयु अभी 65 वर्ष है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया गया स्थाई लाभ सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके जीवनयापन में बहुत मददगार साबित हो रहा है। वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हितलाभ और सेवाओं से बहुत संतुष्ट हैं और इस सब के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को धन्यवाद देते हैं।

सौजन्यः

उमेश गुप्ता, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, सुरेंद्रनगर

“ **अंत्येष्टि व्ययः बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर ₹ 15,000/- तक देय।** ”

05 श्री निरंजनदास साधू – बीमा संख्या 3712424749 (अहमदाबाद सिटी शाखा कार्यालय)

श्री निरंजनदास साधू बीमा सं. 3712424749 जो CHARTERED SPEED कंपनी में दिनांक 01.04.2018 से कार्यरत थे। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अहमदाबाद में किराये के मकान में रहते थे। उनका परिवार पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर था। अचानक दिनांक 10.02.2020 को कम्पनी में ही दिल का दौरा पडने से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। शाखा प्रबंधक द्वारा दुर्घटना की जांच की गई और दुर्घटना मामले को क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा रोजगार चोट के रूप में स्वीकार किया गया।

अगर किसी व्यक्ति की रोजगार चोट से मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम उनके परिवार को मासिक पेंशन का लाभ देता है (जो कुल वेतन का 90 प्रतिशत होता है), जिसे आश्रित जन हितलाभ कहा जाता है।

अब उनके परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मासिक पेंशन मिलती है (बीमित की पत्नी को रुपये 10,000/- और उनके बेटे को रुपये 6,000/- मासिक पेंशन मिलती है)

श्रीमती बीनाबेन साधु (पत्नि) स्व. श्री निरंजनदास साधु

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई पेंशन उनके परिवार के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। जिससे वह अपने मकान का किराया भर सकते हैं और पेंशन से ही उनका बेटा अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम हुआ है। श्री निरंजनदास संधू का परिवार इस मदद के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को आभार व्यक्त करता है।

श्री मानव साधु (पुत्र) स्व. श्री निरंजनदास साधु

सौजन्य:
रवि धिन्धवाल, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, अहमदाबाद सिटी

> "चिकित्सा हितलाभ: बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार को चिकित्सा हितलाभ बीमा योग्य नियोजन में प्रवेश की तारीख से ही है।"

06 श्री सचिनभाई शेवाले – बीमा संख्या 3708352900 (कलोल शाखा कार्यालय)

श्री सचिनभाई शेवाले बीमा संख्या 3708352900 शाखा कार्यालय, कलोल के अंतर्गत आने वाली मैसर्स सिंटेक्स नाम की कंपनी में 2003 से चपरासी के पद पर नौकरी करते हैं। हर महीने उनकी पगार से कंपनी द्वारा ईएसआईसी काटी जा रही थी। 1 जनवरी 2020 को उन्हें कैंसर रूपी घातक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला। सौभाग्य से सचिनभाई के ईएसआईसी में कवर होने के कारण उन्हें जैसे ही बीमारी से ग्रसित होने का पता चला उन्होंने तुरंत ईएसआईसी के अस्पताल में जाकर नियमित रूप से इलाज शुरू करवा दिया। जिसमें उन्हें बीमारी के लिए दवाइयां और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। वह 1 जनवरी 2020 से अपनी कंपनी में छुट्टी पर हैं जिसकी वजह से उनकी आय में खलल पड़ा। किंतु इस दौरान शाखा कार्यालय, कलोल के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से चिकित्सा हितलाभ और विस्तारित बीमारी हितलाभ समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। शाखा कार्यालय, कलोल के शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी समय पर उन्हें मदद प्रदान करते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित होने के कारण ईएसआईसी की तरफ से जो उन्हें आर्थिक मदद और चिकित्सा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिसके लिए वे अत्यंत आभारी हैं। ईएसआईसी एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत मजदूर एवं श्रमिक वर्ग को बहुत मदद प्रदान की जाती है। इसी कारण से सभी कामगार का ईएसआईसी में रजिस्टर होना जरूरी है ताकि उन्हें एवं उनके परिवार को चिकित्सा हितलाभ और आर्थिक मदद प्रदान करने में आसानी हो सके।

श्री सचिनभाई शेवाले

सौजन्य: वी. सी. पान्डे, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कलोल

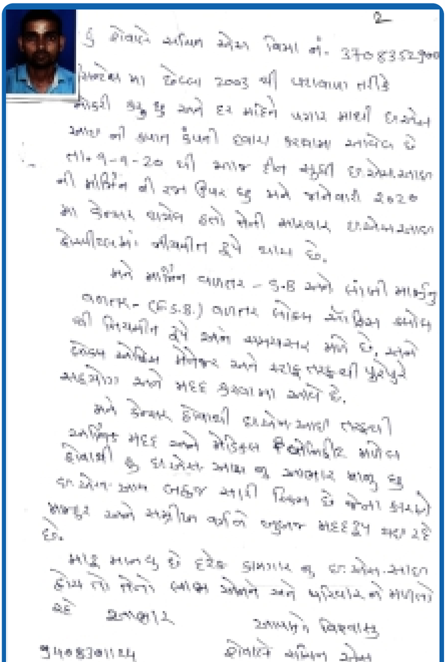

श्री सचीनभाई शेवाले द्वारा स्व-लिखित पत्र

07 श्री शैलेशभाई पटेल – बीमा संख्या 3704463603
(नरोड़ा (आई.ई.) शाखा कार्यालय)

श्री शैलेषभाई पटेल
एवं उनका परिवार

श्री शैलेशभाई पटेल, जो कि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी) के अंतर्गत आई.पी. नंबर 3704463603 से बीमित है। श्री शैलेशभाई दि. 04.08.2018 को जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उस वक्त अचानक उन्हें सिर में दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में ई.एस.आई.सी. की डिस्पेंसरी डी–49 में लाया गया, जहाँ वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत ही यथायोग्य उपचार दिया गया और तब से लेकर लगातार उन्हें ई.एस.आई.सी. से चिकित्सा दी जा रही है। चिकित्सा के दौरान यह विदित हुआ कि उन्हें मोनोप्लेगिया है जो कि एक दिमाग की बीमारी है जिसके कारण वे कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं। दिनांक 04.08.2018 से ही श्री शैलेशभाई के चिकित्सा हितलाभ व नकद हितलाभ का उत्तरदायित्व ई.एस.आई.सी. निभा रही है।

दिनांक 06.08.2018 से 08.11.2018 तक कुल मिलाकर 91 दिवस का बीमा हितलाभ व उसके बाद दिनांक 09.11.2018 से 04.12.2019 तक कुल मिलाकर 389 दिन का विस्तारित बीमारी हितलाभ नकद भुगतान के रूप में ई.एस.आई.सी. की नरोडा इंडस्ट्रियल एस्टेट शाखा द्वारा दिया गया है।

उपरोक्त अवधि के बाद श्री शैलेशभाई को स्पेशल मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 29.01.2021 के दिन लिए गए निर्णय के अनुसार 05.12.2019 से 10.08.2020 तक कुल मिलाकर 250 दिन का विस्तारित बीमारी हितलाभ भी नकद भुगतान के रूप में ईएसआईसी द्वारा दिया गया है।

इस प्रकार से, चिकित्सा के अतिरिक्त कुल मिलाकर 730 दिन का भुगतान भी श्री शैलेशभाई को ईएसआईसी के द्वारा किया जा चुका है और वे पूर्णतः संतुष्ट हैं।

सौजन्य: करन नरेशभाई दिवान,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, नरोड़ा (आई.ई.)

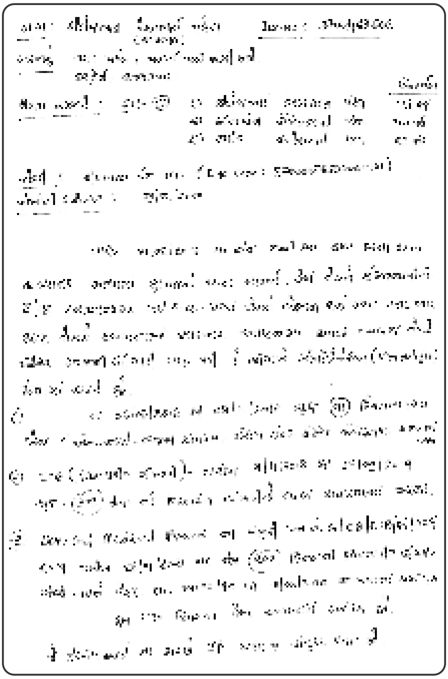

08 श्री जसवंतभाई पटेल – बीमा संख्या 3712098047 (नरोड़ा (आई.ई.) शाखा कार्यालय)

श्री जसवंतभाई पटेल जो कि मैसर्स बेस्ट पंप में काम करते हैं एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के अंतर्गत आई.पी. नंबर 3712098047 से बीमित हैं। उनकी दुनिया उस वक्त बदल गयी जब 06.01.2020 के दिन उनका दुर्भाग्यवश अकस्मात हुआ, जिससे उनके हाथ एवं पैर में फ्रैक्चर हो गया। ई.एस.आई.सी. के बीमित व्यक्ति होने के कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा ईएसआईसी का उत्तरदायित्व था।

श्री जसवंतभाई पटेल को दिनांक 06.01.2020 दुर्घटना के दिन से ही ईएसआईसी के अंतर्गत चिकित्सा और नकद हितलाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनके दायें हाथ में प्लेट लगाई गई व पैर में प्लास्टर किया गया। उसके अतिरिक्त चिकित्सा के दौरान 06.01.2020 से 08.01.2021 तक के लिए नकद हितलाभ (मेडिकल छुट्टी के दौरान वेतन के एवज में दिए जाने वाली नकद राशि) का भी भुगतान किया गया है। आज श्री जसवंतभाई पटेल का पैर पूरी तरह ठीक हो चुका है और जल्द ही उनके हाथ का भी ऑपरेशन करवा दिया जाएगा।

श्री जसवंतभाई पटेल की जुबानी उनकी दास्ताँ सुनें तो वे कहते हैं कि चूंकि उनके 4 सदस्यों के परिवार में उनके सिवा कमाने वाला

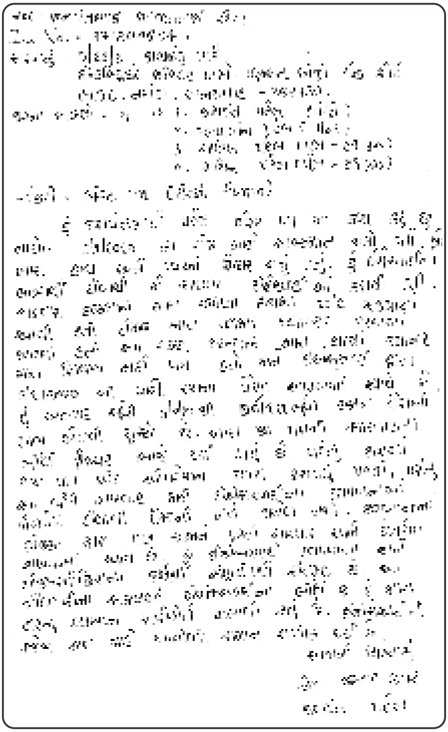

केवल उनका पुत्र ही है एवं ईएसआईसी से उन्हें न केवल चिकित्सा बल्कि छुट्टी के एवज में जो राशि मिली है उसके कारण ही इस मुश्किल दौर में उनके घर का गुजारा हो पाया है। वे ईएसआईसी की चिकित्सा व शाखा कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा से पूर्णतः संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि ईएसआईसी मेरे लिए एक वरदान साबित हुई है।

सौजन्यः करन नरेशभाई दिवान,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, नरोड़ा (आई.ई.)

09 श्री कमलेश ठाकुर – बीमा संख्या 3710995589 (महेसाणा शाखा कार्यालय)

नीताबेन कमलेशभाई (पत्नि) (स्व. श्री कमलेश ठाकुर)

स्वर्गीय श्री कमलेश ठाकुर पुत्र श्री अबूजी बुदार जी ठाकुर इंश्योरेंस नंबर 3710995589 जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह मैसर्स समर्थ डायमंड विसनगर कोड नंबर 37001022770 0910 में कार्य करते थे, जो कि महेसाणा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 18 अप्रैल 2019 को सायं 5:20 पर घर जाते समय अचानक से वह पार्किंग एरिया में गिर गए और बेहोश हो गए। उनके नियोजक ने अति शीघ्र उन्हें निकट के अस्पताल में दाखिल करवाया जहाँ वे 20 अप्रैल तक अचैतन्य अवस्था में रहे तथा इसके कुछ समय के बाद वह इस दुनिया से चले गये।

इस दुर्घटना की खबर जैसे ही महेसाणा शाखा कार्यालय को मिली शाखा प्रबंधक ने तुरंत श्री कमलेश जी के दुर्घटना के स्थान तथा उनके घर जाकर सारे उचित दस्तावेज 29 अप्रैल 2019 को प्राप्त कर लिए तथा उचित कार्रवाई शुरू कर दी। दिनांक 24.07.2019 से उनकी मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी नीताबेन एवं उनके तीन बच्चों को आश्रितजन हितलाभ प्राप्त हो रहा है। जिसके लिए सभी आश्रितजन अत्यंत आभारी हैं।

सौजन्य: वी.के.जैन,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, महेसाणा

स्व. श्री कमलेश ठाकुर के बच्चे

> "जो आप पर निर्भर हैं वह हम पर भी निर्भर हैं: रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रितजनों हेतु वेतन का 90% मासिक पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में"

10 श्री जयविरसिंह गढ़वी – बीमा संख्या 3711138589 (महेसाणा शाखा कार्यालय)

जयविरसिंह गढ़वी

श्री जयविरसिंह गढ़वी इंश्योरेंस नंबर 3711138589 मैसर्स सिंह इंटेलिजेंस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में गत कई वर्षों से कार्य करते हैं। दिनांक 21.06.2020 से 30.06.2020 तक वे शंकुश मेडिसिटी में गैर रक्त स्त्रावी इंटरेक्ट की वजह से दाखिल हुए, इसके उपरांत ईएसआईसी डी–1 महेसाणा तथा ईएसआईसी जनरल हॉस्पिटल नरोडा, अहमदाबाद से 8 सितंबर 2020 से निरंतर इलाज प्राप्त कर रहे हैं।

श्री जयविरसिंह गढ़वी अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी तथा उनके दो बच्चे हैं। वे स्वयं इस बीमारी से ग्रसित होने के कारण अपने एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं थे।

इस मुश्किल की घडी में ईएसआईसी महेसाणा के कार्यालय से 91 दिन तक उन्हें चिकित्सा हितलाभ प्राप्त हुए तथा इसके उपरांत एम.आर. के आदेश से उन्हें विस्तारित बीमारी हितलाभ प्रदान किया जिसके लिए वह एवं उनका परिवार बहुत आभारी हैं।

सौजन्य: वी.के.जैन,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, महेसाणा

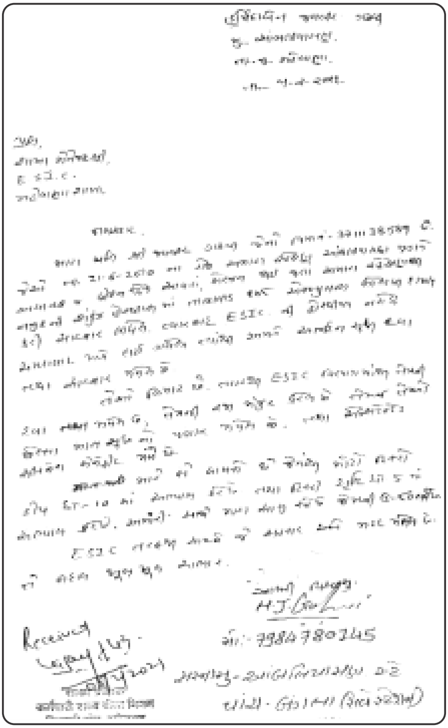

सेवानिवृत्ति: 3 वर्ष बाद भी
स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएँ
₹ **120/-** वार्षिक जमा करवाकर
पूरे साल चिकित्सा देखभाल
(Medical Care) का लाभ उठाएँ।

11 श्री प्रवीनचंद्र – बीमा संख्याः 3704041189 (वटवा शाखा कार्यालय)

श्री प्रवीनचंद्र

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बहुत सी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं कंपनियों में से एक है मैसर्स गरुड सीमेंट प्रोडक्ट्स जो कि शाखा कार्यालय वटवा के निकट है।

इस कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी श्री प्रवीनचंद्र (बीमा संख्याः 3704041189) हमारे निगम के बीमाकृत व्यक्ति हैं, जिनका एक भरा पूरा परिवार है जिसमें उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और माँ हैं। जो कि पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं। श्री प्रवीनचंद्र 2010 से मैसर्स गरुड सीमेंट प्रोडक्ट्स में कार्यरत थे और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर रहे थे लेकिन फिर एक दिन दिनांक 04.08.2019 को अचानक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पडा, जिसकी वजह से वह कोमा में चले गये और उसके चलते न सिर्फ उनकी कमाई का जरिया खत्म हो गया बल्कि उनका पूरा परिवार हर एक चीज के लिए दूसरों का मोहताज हो गया।

अचानक आई उपरोक्त विपदा के चलते बीमाकृत व्यक्ति श्री प्रवीनचंद्र ने दिनांक 04.08.2019 से दिनांक 02.01.2020 तक Zydus Hospital से उपचार करवाया। इस संकट की घडी में इस परिवार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक मसीहा बनकर आया और क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमोदन से इसे वैकल्पिक साक्ष्य (Alternate Evidence) का केस मानते हुए बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी हितलाभ दिया गया। उसके बाद श्री प्रवीनचंद्र को स्थायी अपंगता हितलाभ के रूप में उनकी औसत दैनिक मजदूरी का 80% यानि कि रू.420/– प्रति दिन का नकद लाभ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल से मुफ्त इलाज मिल रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मिल रहे इस लाभ के कारण आज उनका परिवार किसी और पर आश्रित नहीं है और सिर उठाकर अपना जीवन आनंदपूर्ण रूप से व्यतीत कर रहा है।

सौजन्यः रवि कुमार,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, वटवा

> "अंशदान कर (वेतन का 6.5% से घटाकर 5%) हितलाभ और ज्यादा"

12 श्री बिशन – बीमा संख्या: 3705457044 (वटवा शाखा कार्यालय)

श्री बिशन

मैसर्स TAS Foundry, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय वटवा के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में शामिल है, जो कि एक धातु मोल्ड और मेल्ट करने की यूनिट है। श्री बिशन (बीमा संख्याः 3705457044), जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमित व्यक्ति हैं वह इस कंपनी में वर्ष 2008 से कार्यरत थे। दिनांक 03.06.2015 को इस कंपनी की भट्ठी में विस्फोट हुआ और तरल धातु उनके चेहरे, छाती और आँखो पर जा गिरा जिसके चलते बिशन जी ने अपनी आँखे हमेशा के लिए गँवा दी।

उपरोक्त दुःखद घटना के बाद श्री बिशन मैसर्स TAS Foundry में तो क्या, किसी और कंपनी में भी रोजगार पाने हेतु सक्षम नहीं रहे। जिसके कारण वह अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से अपने परिवार पर आश्रित हो गये। इस संकट की घड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्री बिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और उन्हें दिनांक 17.12.2018 तक अस्थायी अपंगता हितलाभ उपलब्ध कराया। इसके बाद उन्हें मेडिकल बोर्ड में भेजा गया जहाँ उनकी अपंगता 37% सुनिश्चित की गई जो कि बाद में 100% कर दी गई थी।

वर्तमान में स्थायी अपंगता हितलाभ के रूप में उनकी आय का 100% लाभ का भुगतान जो कि रू.8,431/– है, वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मासिक पेंशन के रूप में जिन्दगी भर के लिए उन्हें प्रदान किया जा रहा है। जिसके चलते आज वह किसी और पर आश्रित नहीं है।

सौजन्य: रवि कुमार,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, वटवा

> प्रसूति व्ययः ई.एस.आई.सी. की चिकित्सा सुविधा नहीं होने पर प्रति प्रसूति ₹ 7,500/- देय है।

13 श्री विजय बम्भानिया – बीमा संख्या 3710782711 (भावनगर शाखा कार्यालय)

श्री विजय बम्भानिया करचालिया पारा, भावनगर में रहते हैं। वे एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं। उनके परिवार में उनको अपनी पत्नी, दो बच्चे और बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी होती है। उन्होंने स्टील कास्ट प्राइवेट लिमिटेड में काम करना शुरू किया। वे पिछले छह वर्षों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। वे हर महीने 8000 से 9000 रूपये के लगभग कमाते हैं जो कि उनके काम के दिनों पर निर्भर करता है। वे किराये के घर में रहते हैं जिसका महीने का किराया 2500 रूपये है।

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उनकी कंपनी ने उनको 200 से अधिक दूसरे मजदूरों के साथ जून में काम से निकाल दिया था क्योंकि कंपनी लॉकडाउन के दौरान कामगारों को मजदूरी नहीं दे सकती थी। वो बहुत डर गये क्योंकि वे अपने परिवार में कमाने वाले अकेले सदस्य थे और उनकी आय के बिना उनका परिवार मुसीबत में फ़ंस जायेगा। उनके पास अपनी बचत न के बराबर थी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दो महीने तक गुजारा कर सकते थे और इस बचत के खत्म होने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। उनके द्वारा की गई दैनिक मजदूरी और इसके साथ रिश्तेदारों से उधार लिए गए पैसों के भरोसे काम चलने लगा परन्तु वे यह जानते थे कि इस तरह से ज्यादा समय नहीं गुजर पायेगा।

इसी बीच उन्होंने ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में एक विज्ञापन देखा। उन्होंने अपने मित्रों से भी इस बारे में सुन रखा था। वे इस संबंध में पूछताछ करने के लिए ईएसआईसी के भावनगर शाखा कार्यालय में गये। उन्होंने शाखा कार्यालय में जाकर यह जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। शाखा कार्यालय के स्टाफ ने बताया कि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है और उन्होंने दावा तैयार करवा दिया क्योंकि उनको मालूम था कि एक बीमाकृत व्यक्ति को इस योजना के लाभ लेने के लिए दावा करने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने कुछ दस्तावेज की सूची दी, जिसे कार्यालय में जमा कराना था। शाखा कार्यालय द्वारा बताये गये सभी दस्तावेज को उन्होंने उसी दिन जमा करवा दिया। उनके आवेदन के बाद आठ से दस दिनों के कम समय में उनके खाते में 13,679/– रूपये आ गये, जो उनके लिए अतिप्रसन्नता का विषय था। इस खुशी के पल को जब उन्होंने अपने परिवार और अपनी पत्नी के साथ साझा किया तो उनकी पत्नी की आँखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपने खाते से पैसा निकाला। उस पैसे में से उन्होंने कुछ पैसों को अपने रिश्तेदारों को लौटा दिया और कुछ से पिछले दो महीने के बकाया किराये का भुगतान कर दिया।

ईएसआईसी की इस मदद की वजह से वे अपना उधार चुका पाए और अब उनकी स्थिति सामान्य होती जा रही है। उन्होंने अब स्टील कास्ट में दुबारा काम करना शुरू कर दिया है और उनकी पत्नी दैनिक मजदूरी करने लग गई है। लॉकडाउन की वजह से हुई आर्थिक तंगी का समय अब गुजर चुका है। ईएसआईसी उनके और उनके परिवार के लिए एक वरदान साबित हुई है।

सौजन्यः देवांग अरविंदकुमार यादव,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, भावनगर

14 श्री हिरेन गोहिल – बीमा संख्या 3710926153 (भावनगर शाखा कार्यालय)

श्री हिरेन गोहिल भावनगर में प्लोट नं.19/ए न्यू पीपर सोसाइटी, सुभाषनगर में रहते हैं। वे पिछले पाँच–छह साल से मैसर्स हरियानी सोल्युसंस में काम कर रहे हैं। वे शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। उनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और वे एक कमरे के किराये के मकान में रहते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढनें जाते हैं जहाँ फीस कम लगती है। वो बहुत ज्यादा नहीं बचा पाते क्योंकि उनकी ज्यादातर कमाई घरेलु सामान को खरीदने और परिवार के दो समय के भोजन में ही खत्म हो जाती है। उनकी पत्नी के पास भी कमाई का कोई जरिया नहीं है।

वे भाग्यशाली थे कि देशव्यापी लॉकडाउन के बुरे समय के दौरान कंपनी ने उनको एक कर्मचारी के रूप में काम पर बनाए रखा। लेकिन जून 2020 में कपंनी ने उनको बता दिया कि आपको आगे से काम पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वेतन देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है। उनको और उनके परिवार को बहुत दुःख हुआ क्योंकि बिना मासिक कमाई के जीवन कैसे जिया जा सकता था। उन्होंने अपनी कंपनी के प्रबंधक से दया की भीख मांगी कि वो आधे वेतन पर भी काम करने को तैयार है परन्तु हर बार कम्पनी के मुख्य कार्यालय मुंबई ने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। वे बहुत हताश हो गये । उन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए दैनिक श्रमिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया जहां उनको 200 से 250 रूपये प्रतिदिन मिलते थे लेकिन पूरे देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण उनको एक सप्ताह में दो से तीन दिन ही काम मिल पाता था। लॉकडाउन के संकट से पहले उनकी मासिक कमाई 11,000 थी लेकिन इस मुश्किल में वे हर महीने ज्यादा से ज्यादा 2000 से 2500 ही कमा पाते हैं। अपने बच्चों को दो समय का भोजन देने के लिए उनको अपने आसपास के लोगों से पैसा उधार माँगना पड़ा।

श्री हिरेन गोहिल व उनका परिवार

उधार के पैसों और रोज की मजदूरी के पैसों से जैसे तैसे करके उन्होंने छह महीने गुजारे लेकिन बहुत जल्दी ही वे पैसे खर्च होने लगे और परिवार के खर्चे और पढ़ाई लिखाई के खर्चे मुंह फाड़े सामने खडे थे। इसी दौरान उनको अन्य जगह काम करने वाले उनके मित्रों से ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में पता लगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में इस योजना के बारे में जानने के लिए भेजा। जब उनकी पत्नी शाखा कार्यालय में गई तो शाखा कार्यालय के स्टाफ ने उनकी पत्नी

को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी एवं सूचना दी और इस योजना का पूरा दावा तैयार किया। शाखा कार्यालय ने उनको बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड को अटेच करने और दावे को नोटेराइज्ड करने को कहा।

उन्होंने शाखा कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत किया। वह दावे के भुगतान के विषय में निश्चित नहीं थे और उन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरुरत थी इसलिए वे साहूकार से पैसा उधार लेने के लिए उनके पास चले गये लेकिन साहूकार ने यह कहकर पैसा देने से मना कर दिया कि उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए वे ऊँची ब्याजदर पर दिए जाने वाले इस उधार को वापस कैसे चुकायेंगे। चार दिन के बाद वे फिर से ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में अपने दावे के लिए पूछताछ करने गये। वे बहुत खुश हुए जब उनको बताया गया कि उनके दावे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उनके मुख्य कार्यालय मैसर्स हरियानी सोल्युसंस से पहले ही संपर्क किया जा चुका है और जरुरी कागजात को भेज दिया गया है। उन्होंने अपने पहले वाले नियोजक से संपर्क किया और निवेदन किया कि उनके दावे की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जाए। दिनांक 26.10.2020 को उनको बैंक से एक एसएमएस प्राप्त हुआ, जिसमें यह बताया गया कि उनके खाते में 17,036/- रूपये जमा हुए हैं। उनको बहुत खुशी हुई और अपार संतोष हुआ। वे तुरंत अपने बैंक गये और इस बात की तस्दीक करने के लिए पासबुक में एंट्री करवाई। इसके बाद उन्होंने अपने खाते से 10,000/- रुपये निकलवाए और जिनसे पैसे उधार लिए थे उनके 10,000/- रूपये लौटा दिए।

उन्होंने बताया कि ईएसआईसी और भावनगर के शाखा कार्यालय के स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है क्योंकि उन्होंने वैश्विक महामारी के बुरे समय में उनको व उनके परिवार को बचाने में भारी मदद की।

(जैसा कि श्री हिरेन गोहिल ने फोन पर बताया) (फोन नं.7359045143)

सौजन्यः
देवांग अरविंदकुमार यादव,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, भावनगर

"अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजनाः बीमाकृत व्यक्ति ऑनलाइन कर दावा प्रस्तुत कर सकता है।"

श्री अरविन्दभाई के. जोशी – बीमा संख्या 3711998611
(भावनगर शाखा कार्यालय)

श्री अरविन्दभाई कनुभाई जोशी भावनगर में रानिका में रहते हैं। उनके परिवार में पाँच सदस्य हैं जिनमे बेटा जेनम, ध्रुवी और उनके माता–पिता कनुभाई व भानुबेन हैं। वो अकेले अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं। वे 2010 से मैसर्स स्टील कास्ट लिमिटेड में काम करते हैं। वे मेंटेनेंस विभाग में हेल्पर के रूप में काम करते थे। उन्हें महीने में 8000 से 9000 रूपये मिलते थे लेकिन कोविड–19 लॉकडाउन में उन्हें कहा गया कि वे काम पर न आऐं क्योंकि कंपनी के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है।

उनको व उनके परिवार को बहुत दुःख हुआ और वे असहाय हो गए जब उन्होंने लॉकडाउन के बीच में यह समाचार सुना। उनके पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। उनको अन्य काम देने वालों ने यह कहा कि उनके पास जरुरी योग्यता और अनुभव नहीं है जिसके आधार पर उन्हें कोई काम दिया जा सके। एक समय ऐसा आ गया जब उनके परिवार को खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। उनके दोनों बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं और उस समय बच्चों के स्कूल की फीस भर पाना भी मुश्किल था। इस कारण उनको अपने बेटे का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाना पड़ा।

बहुत ज्यादा कोशिश करने पर भी जब उनको कोई छोटा–मोटा काम भी नहीं मिला तो जरुरत की वजह से उनको दैनिक मजदूरी का काम करना पडा। दैनिक मजदूर के रूप में वे प्रतिदिन 250–300 रूपये कमा लेते थे। कोविड महामारी के कारण दैनिक मजदूर के रूप में काम मिलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इसी दौरान इन सब संकटों के बीच उनकी माताजी श्रीमती भानुबेन जोशी का असामयिक अवसान हो गया। उनको अपनी मां का अंतिम संस्कार एवं अन्य क्रियाकर्म करने के लिए अपने नजदीकी रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना पड़े। इस आर्थिक संकट में मां की मृत्यु ने उनके सारे परिवार को एक बहुत बडे संकट में डाल दिया।

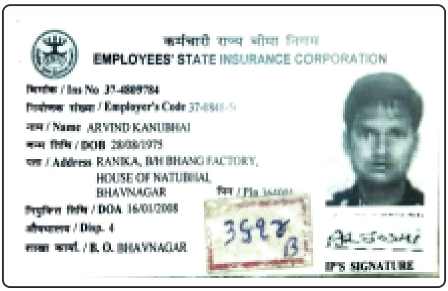

कई महीनों के इस संघर्ष और हालातों के बाद उनको सरकार की एक योजना जो कि लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वालों के लिए होती है जिसका नाम अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, के बारे में पता चला। शुरू में उनको यह बिल्कुल पता नहीं था कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौनसे कागजातों की जरुरत है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इसलिए वे उनकी कंपनी के पास गये और कंपनी ने उनको बताया कि वे ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में संपर्क करें। ईएसआईसी का शाखा कार्यालय चावडी गेट, भावनगर में था। वे इस योजना का लाभ पाने की आशा में शाखा कार्यालय गये। शाखा कार्यालय के स्टाफ ने उनका पूरा सहयोग किया और सारी प्रक्रिया के संबंध में उनको अच्छी तरह से समझाया और इस योजना का पूरा दावा तैयार किया।

कुछ दिन बाद वे दुबारा अपने दावे की स्थिति का पता करने के लिए शाखा कार्यालय में गए। वे बहुत खुश हुए जब उनको बताया गया कि उनके दावे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उनके रोजगारदाता से जरुरी कागजात के लिए संपर्क किया जा चुका है और उन्हें कभी भी दो–तीन दिन में हितलाभ का भुगतान मिल सकता है। नवम्बर के दूसरे हफ्ते में वे बैंक गये और बैलेंस की जांच करने के लिए पासबुक प्रिंट करवाई और उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि शाखा कार्यालय में जाने के मात्र तीन दिन बाद ही उनके खाता में 15,782/– रूपये जमा हो गये। इस पैसे ने उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मदद की और उन्होंने अपने बच्चों के स्कूल की कई महीनों की फीस जमा करवाई।

उन्होंने ईएसआईसी और भावनगर शाखा कार्यालय में तैनात स्टाफ को उनके काम के प्रति निष्ठा और बुरे समय में की गई मदद के लिए बहुत–बहुत आभार प्रकट किया।

(जैसा कि श्री अरविन्दभाई जोशी ने फोन पर बताया)(फोन नं.9714762367)

सौजन्य:
देवांग अरविंदकुमार यादव, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, भावनगर

> निर्णायक अंशदान 4.75% के स्थान पर 3.25% एवं कर्मचारी अंशदान 1.75% से घटाकर 0.75%

16 श्री प्रदीप नाथालाल हंसोला – बीमा संख्या 3703251619 (वांकानेर शाखा कार्यालय)

श्री प्रदीप नाथालाल हंसोला

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय वांकानेर के अंतर्गत एक कंपनी में कार्यरत बीमाकृत व्यक्ति श्री प्रदीप नाथालाल हंसोला बीमा संख्या 3703251619 वह इंसान है जो दिनांक 31.12.2009 को अपनी फैक्ट्री में काम करते वक्त एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके कारण उनके दाहिने कंधे में क्षति पहुंची और वह काम करने में असमर्थ हो गए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का बीमित व्यक्ति होने के कारण उन्हें उनकी स्थायी अपंगता के लिए स्थायी अपंगता हितलाभ दिया जा रहा है।

उनसे हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बताया है कि स्थायी अपंगता के चलते वह किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको मिलने वाले स्थायी अपंगता हितलाभ के कारण वे आज अपना जीवन सही रूप से व्यतीत कर रहे हैं। इसके आगे वह बताते हैं कि निगम के स्टाफ द्वारा उन्हें समय–समय पर विविध हितलाभों की जानकारी भी मुहैया करवाई जाती है।

कुछ ऐसे ही लोगों को देखने–सुनने के बाद लगता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम सही रूप से "चिंता से मुक्ति" प्रदान करने में सफल हो रहा है।

सौजन्यः
राजेन्द्रकुमार दासवानी, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, वांकानेर

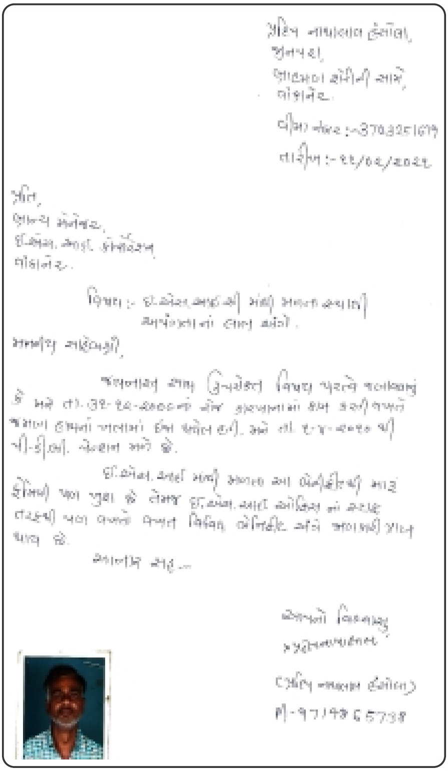

પ્રદીપ નાથાલાલ હંસોલા,
જીનપરા,
[illegible] સામે,
વાંકાનેર.

વીમા નંબર :- 3703251619
તારીખ :- [illegible]

પ્રતિ,
શાખા મેનેજર,
ઈ.એસ.આઈ. કોર્પોરેશન
વાંકાનેર.

વિષય :- ઈ.એસ.આઈ.સી માંથી મળતા કાયમી અપંગતાના લાભ અંગે.

માનનીય સાહેબશ્રી,

[illegible]

આભાર સહ...

આપનો વિશ્વાસુ
[illegible]
(પ્રદીપ નાથાલાલ હંસોલા)
મો-97148 65738

17

श्री मूसा दाऊद – बीमा संख्या 3702731963
(राजकोट शाखा कार्यालय)

स्व. श्री मूसा दाऊद, मैसर्स राजेश आयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि. राजकोट में काम करते थे और काम के दौरान कारखाने में ही उनकी मृत्यु दिनांक 17.09.1980 को हो गई थी। स्व. श्री मूसा दाऊद (बीमा सं. 3702731963) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमित थे तथा उन पर आश्रित उनकी माता श्रीमती जेनुबेन दाउद भाई जोकि उनके बेटे की मृत्यु के उपरांत से मासिक आधार पर आश्रितजन हितलाभ पेंशन का लाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम से ले रही हैं।

उनका पहला मासिक हितलाभ रू.56.25/– था जो आज रूपये 1200/– हो चुका है। श्रीमती जेनुबेन के तीन पुत्र एवं एक पुत्री थी एवं उनके पति की मृत्यु स्व. श्री मूसा दाऊद की मृत्यु के पहले हो गई थी। उनके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है। इस स्थिति में रूपये 1200/– का हितलाभ भी जीवनयापन के लिए बहुत उपयोगी है।

वर्तमान में वह अपने छोटे पुत्र के साथ रह रही हैं जो अविवाहित है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वह पिछले 40 वर्षों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय से नियमित रूप से आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रही हैं। अब उनकी आयु 75 वर्ष हो चुकी है। पूर्व में वह स्वयं एवं अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र के जीवन यापन के लिए नौकरी भी कर रही थी परन्तु वर्तमान में उनके पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है। उन्हें मात्र मासिक आश्रितजन हितलाभ रूपये 1200/– कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्त होता है जो कि उनके जीवन यापन हेतु सहायक है परन्तु पर्याप्त नहीं है।

जेनुबेन दाउद भाई (माता)
(श्री मूसा दाऊद)

उनका अनुभव कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रति संतोषजनक है एवं साथ ही वे यह चाहती हैं कि उनका मासिक आश्रितजन हितलाभ रूपये 1200/– से बढ़ सके।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उनको यह हितलाभ तो आजीवन मिलता ही रहेगा। साथ ही अगर कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय द्वारा भविष्य में यदि पुराने हितलाभ की दर में वृद्धि की गई तो वह भी उनको देय होगा और उनके परिवार का जीवन यापन हो सकेगा।

सौजन्यः

हितेन्द्र चुनीलाल सुरैया, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, राजकोट

18 श्री विक्रम रामहरख – बीमा संख्या 3704545752 (नरोड़ा रोड शाखा कार्यालय)

स्व. श्री विक्रम रामहरख (बीमा संख्या 3704545752) अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्री विक्रम रामहरख नरोडा रोड शाखा के अंतर्गत रोमा इंडस्ट्री की एक फाउंड्री में काम करते थे। वे 10 से 12 साल तक लगातार इस फाउंड्री में काम करते रहे। इस फाउंड्री में काम करते हुए उन्हें एक व्यवसाय जनित रोग जिसका नाम न्युमोकोनीऑसिस है, हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और चार बेटियां हैं। यह सभी लोग भीडभंजन, मुरलीधरन, अंबुजा हाईस्कूल के सामने बापूनगर, अहमदाबाद में रहते हैं।

श्री विक्रम रामहरख को न्युमोकोनी–ऑसिस उनके कार्यस्थल के अनहेल्दी कंडीशन (स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कारकों) की वजह से हुआ था। कंपनी वालों को अथवा नियोजकों को अपने कार्यस्थल पर सफाई एवं स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। श्री विक्रम रामहरख के केस में नियोजक ने ऐसा होने की बात की मनाही की। परंतु चिकित्सकों ने अपना परामर्श देते हुए इसे रोजगार जनित अथवा व्यवसाय जनित रोग माना। यह रोग लगातार कई सालों तक गर्म फर्नेस से संबंधित काम करते हुए श्री रामहरख को हुआ था।

उन्हें 1 मई, 2007 से 2019 तक 595 दिन के लिए बीमारी हितलाभ तथा अस्थाई अपंगता हितलाभ के अंतर्गत रू.1,18,370/– तक की राशि का भुगतान किया गया। उन दिनों श्री विक्रम रामहरख की मासिक आय रू.5,000/– प्रति माह थी। परंतु लगातार बीमार होने की वजह से उनकी आय में खलल पड़ रहा था।

विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें उपरोक्त व्यवसाय जनित रोग से पीड़ित पाया गया और

उसकी वजह से स्थाई विकलांगता हितलाभ उन्हें दिया गया। इसमें 90 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया गया। दुर्भाग्यवश 31.12.2019 को मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने के बाद, 1 जनवरी, 2020 को उनकी मृत्यु हो गई।

क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद ने ईएसआईसी, मुख्यालय से इसे विशेष मामला मानके हुए स्थाई विकलांगता हितलाभ को आश्रितजन हितलाभ में परिवर्तित करने की आज्ञा मांगी। जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब श्री रामहरख के परिवार को रू.7,700/– मासिक के हिसाब से जीवनभर पेंशन मिलती रहेगी।

सौजन्यः
विक्रम, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, नरोडा रोड

19 श्री भलाभाई मकवाना – बीमा संख्या 3711735768
श्री गणेशभाई पटेल – बीमा संख्या 3711735742
(इसनपुर शाखा कार्यालय)

मैसर्स नंदन एक्सिम लिमिटेड एक कंपनी है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इसनपुर शाखा कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। 8 फरवरी, 2020 को एक भयंकर आग इस कंपनी में लगी और जिसकी वजह से इसके एक डिपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ। इस कंपनी के 7 कर्मचारी की झुलसने की वजह से मृत्यु हो गई। इन 7 में से 2 लोगों के पास ईएसआईसी की सुविधा उपलब्ध थी बाकि पाँच लोगों के पास यह सुविधा इसलिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ईएसआई की जो वेज सेलिंग लिमिट है उसके ऊपर उनकी सैलरी थी। यानी कि रू21000 प्रति माह से ज्यादा की मासिक आमदनी थी।

श्री भलाभाई मकवाना (बीमा संख्या 3711735768) और श्री गणेशभाई पटेल (बीमा संख्या 3711735742) जिनकी दुःखद मृत्यु उपरोक्त घटना में हो गई, उन दोनों के परिवारजनों को जीवनभर के लिए मासिक पेंशन ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) ने उपलब्ध कराई। इस घटना की रिपोर्टिंग समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया में बहुत विस्तृत ढंग हुई।

श्रीमती जशोदाबेन जो कि श्री गणेशभाई

भलाभाई मकवाना के आश्रित

नीरूबेन (पत्नी), भाविन (पुत्र), झील (पुत्री)

આગપાલ

ફાયર NOC ન હતી, એક જ સીડી હતી, વધુ 3ની લાશ મળી, ચિરિપાલ સામે માનવવધનો ગુનો

કુલ મૃત્યુઆંક 7

કંપનીના કુલ 7 સામે સાઅપરાધ માનવવધનો ગુનો, 3ની ધરપકડ

મૃતદેહ એ હદે સળગી ગયા હતા કે ઓળખ ન થઈ, DNA ટેસ્ટ કરાયો

મૃતકોના પરિવારના સભ્યોએ મૃતદેહો સ્વીકારવા ઈન્કાર કર્યો

બેદરકારી | કર્મચારીઓનો જીવ જોખમમાં હોવાનું જાણવા છતાં માલિકોએ કોઈ સુવિધા આપી ન હતી

આગની ઘટનાઓમાં માલિકો સામે ભાગ્યે જ ગુનો નોંધાય છે

સાતેય મૃતક ડિઝાઈન ખાતામાં કામ કરતા હતા

पटेल की विधवा हैं उन्होंने बताया कि श्री पटेल के बाद वह और उनके दो बच्चे उनके आश्रित हैं, जिन्हें

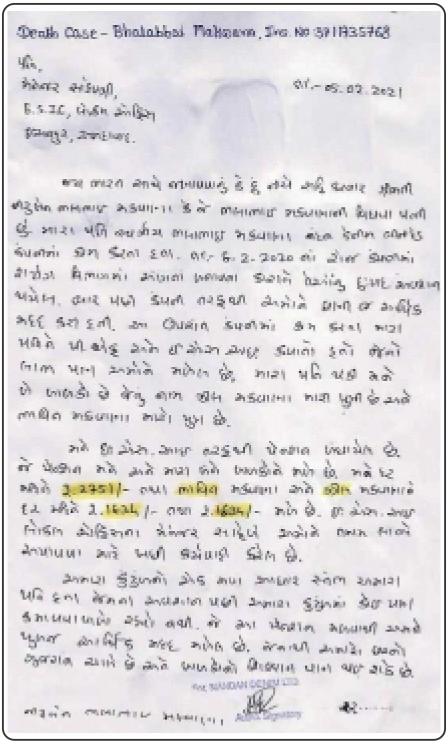
Death Case - Bhalabhai Makwana, Ins. No 3711935768

05.02.2021

For NANDAN DENIM LTD.
Auth. Signatory

करीब रू.4400/ – प्रति माह की पेंशन लगातार मिल रही है।

श्री भलाभाई मकवाना के परिवार में दो बच्चे और उनकी पत्नी श्रीमती निरूबेन भलाभाई आश्रित हैं। उन लोगों को मासिक पेंशन रू.6419 प्रति माह के रूप में दिया जा रहा है।

सौजन्य:
व्रजलता डी. शाह, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, इसनपुर

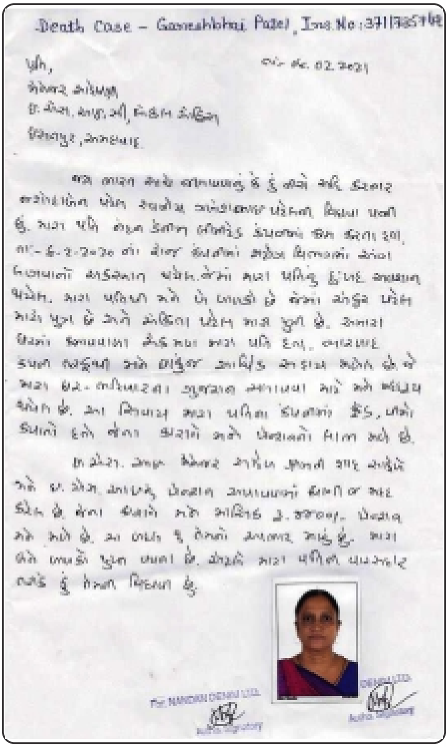
Death Case - Ganeshbhai Patel, Ins. No: 3711785718

02.2021

For NANDAN DENIM LTD.
Auth. Signatory

> **"अपंगता हितलाभ: बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से देय है।"**

20 श्री रमेशभाई – बीमा संख्या 3704008683 (नरोड़ा रोड़ शाखा कार्यालय)

श्री रमेशभाई

श्री रमेशभाई (बीमा संख्या 3704008683) अरविंद मिल्स लिमिटेड (नरोड़ा रोड़ शाखा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है) में 1987 से काम कर रहे हैं। वे चौहान नगर, विभाग–2, रामेश्वर चार रस्ता, मेघाणीनगर में रहते हैं। 22 मई, 2020 वैश्विक कोरोना महामारी काल के दौरान ही दुःखद घटना यह घटी कि उनके जीभ में कैंसर हो गया जिसकी वजह से चिकित्सकों ने उन्हें आराम की सलाह दी और उनके पास दौरान आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं था, न ही उनके परिवार वालों के पास आय का साधन मौजूद था।

सौभाग्य से श्री रमेशभाई ईएसआईसी में कवर्ड थे। श्री रमेशभाई को ईएसआईसी द्वारा विस्तारित बीमारी हितलाभ प्रतिमाह 80 प्रतिशत की दर से लगभग 730 दिन तक दिया जा सकेगा। 22 मई, 2020 से लेकर 2 जनवरी, 2021 तक 226 दिन तक का लगभग रू.1,00,546/– का भुगतान उन्हें मिल चुका है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है।

सौजन्यः विक्रम, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, नरोडा रोड

“अब
हितलाभ राशि का भुगतान
सीधे बीमाकृत व्यक्ति के
बैंक खाते में”

“अब
मातृत्व हितलाभ
12 सप्ताह की जगह
26 सप्ताह तक देय”

21 श्री जयंतिभाई – बीमा संख्या 3701489579
(ओढ़व शाखा कार्यालय)

श्री जयंतिभाई

श्री जयंतिभाई जिनका बीमा संख्या 3701489579 है। वे श्री चामुंडा एंटरप्राईजेज में काम करते हैं। यह कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ओढ़व शाखा कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। उन्होंने हृदय से कर्मचारी राज्य बीमा निगम का आभार व्यक्त किया क्योंकि जिस मुश्किल घड़ी में ईएसआईसी ने उनका साथ दिया वह बहुत ही अमूल्य है। वे दिनांक 01.08.2010 से ईएसआईसी में बीमित व्यक्ति हैं और उन्हें ईएसआईसी का चिकित्सा हितलाभ उसी दिन से ही मिलना शुरू हो गया था। ईएसआईसी ने उनके परिवार की उसी प्रकार से मदद की जिस प्रकार से एक जिम्मेदार व्यक्ति मुश्किल घड़ी में अपने परिवार की मदद करता है। उन्होंने कहा कि वे ईएसआईसी का हृदय से धन्यवाद देते हैं और भारत सरकार के प्रति भी उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रकार की कोई संस्था बनाई जिससे उनके जैसे गरीब व्यक्ति को सहारा मिला।

उनका एक छोटा–सा परिवार है जिसमें वे अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। उनके दो बच्चे पढ़ाई करते हैं। दिनांक 02.11.2018 को वे बीमारी से पीड़ित हो गये जिसका पूरा इलाज ईएसआईसी ने निःशुल्क करवाया तथा सभी स्टाफ डॉक्टर ने उनके परिवार के साथ एक अच्छे नागरिक की तरह बर्ताव किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्हें बीमारी हितलाभ भी मिलने लगा तो ये उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा था। उस समय उन्हें एक कहावत याद आई कि "जब बिलकुल अंधकार होता है तब इंसान सितारे देख पाता है, और वह सितारा है ईएसआईसी"।

जैसे–जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई, 91 दिनों के पश्चात ईएसआईसी ने उनके बीमारी हितलाभ को विस्तारित बीमारी हितलाभ में बदल दिया जिससे उन्हें और भी अधिक पैसे मिलने प्रारंभ हुए और इसका लाभ वे अभी भी ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वे आखिर में एक ही दुआ करते हैं कि भविष्य में ईएसआईसी जैसी संस्था सम्पूर्ण भारत में फैले तथा भारत के हर एक जरूरतमंद कर्मचारी जो इससे वंचित हैं उन्हें इसका लाभ मिले।

सौजन्यः ए.सी.पान्डे, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, ओढ़व

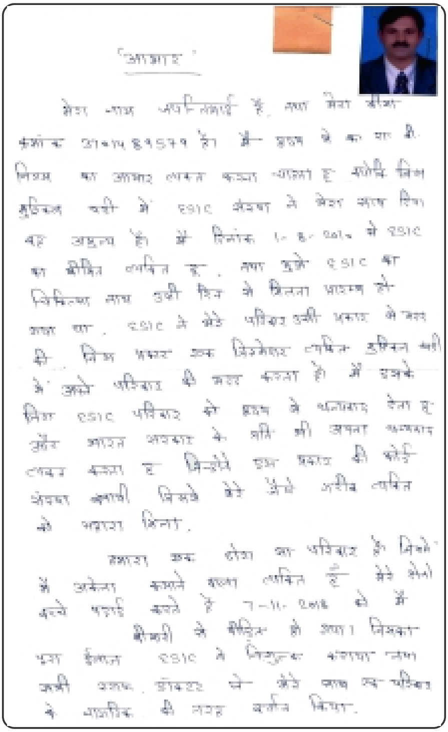
'आभार'

श्री प्रशांत बाबुभाई देसाई – बीमा संख्या 3710821305 (खोखरा शाखा कार्यालय)

श्री प्रशांत बाबुभाई देसाई का बीमा संख्या 3710821305 है। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनकी मासिक आमदनी 10 हजार है। श्री प्रशांत 4 लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनकी पत्नी गृहिणी और दो बच्चे पढ़ाई करते थे। श्री प्रशांत सहायक (हेल्पर) के तौर पर एक फार्मा कम्पनी में कार्यरत थे। दो साल पहले उनके शरीर पर सूजन की समस्या को लेकर उन्होंने बीमा दवाखाना डी–34 से संपर्क किया जहाँ से उनको विविध रिपोर्ट के लिए ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल बापूनगर भेजा गया। रिपोर्ट से यह पता चला कि हाइपरटेंशन के कारण किडनी पर बुरा असर हुआ है और उनकी दोनों किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इस सूचना से उनके परिवार को काफी सदमा पहुंचा। उनको बताया गया कि उनको समय–समय पर डायलिसीस करवाना पडेगा। ईएसआईसी के रेफरल से उनका अपोलो हॉस्पिटल भाट, गांधीनगर में इलाज हुआ और वहाँ उनका फिस्टूला ऑपरेशन किया गया।

उसके बाद भी उनकी दोनों किडनी खराब होने की वजह से उनको हफ्ते में दो बार डायलिसिस करवाना पडता था जो बापूनगर ईएसआईसी हॉस्पिटल में किया जाता था। बाद में कोरोना काल में बापूनगर हॉस्पिटल कोविड केंद्र घोषित होने पर रेफेरल के माध्यम से नारायणी हॉस्पिटल में डायलिसिस मिलता रहा। बीमारी की वजह से वे कई दिनों तक काम पर नहीं जा सकते थे। जिसके लिए उनको शाखा कार्यालय खोखरा से पहले बीमारी हितलाभ और बाद में विस्तारित बीमारी हितलाभ दिया गया जिसके तहत उन्हें दैनिक आमदनी का 70 और 80 प्रतिशत भुगतान दिया जाता था।उसके अलावा उनकी बीमारी की श्रेणी ध्यान में रखकर उनको 3 साल तक का विस्तारित बीमारी हितलाभ भी दिया गया है जिसके तहत उनको और उनके परिवार को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधा क.रा.बी. निगम एवं योजना की चिकित्सा इकाईयों और संबंधित टाई–अप अस्पताल में मिल सकेगी।

प्रशांत बाबुभाई, उनकी पत्नी एवं पुत्री

वर्तमान में श्री प्रशांत बाबुभाई की माता उनको किडनी का अनुदान करने वाली है जिसके लिए रिपोर्ट हो चुकी है। कुछ ही दिनों में उनका किडनी ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन ईएसआईसी के रेफरल से टाई–अप अस्पताल में किया जाने वाला है। प्रशांतजी कहते है "ईएसआईसी की सुपर स्पेशियलिटी के तहत मुझे दवाइयाँ, चिकित्सा एवं नकद हितलाभ मिला है। मुझे खुशी है कि ईएसआईसी के कारण कई अच्छे लाभ मिलते है"।

सौजन्यः रीषभ नौतमकुमार कटारीया,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, खोखरा

23 श्री दिनेशभाई खोडाभाई पटेल – बीमा संख्या 3704600306 (खोखरा शाखा कार्यालय)

श्री दिनेशभाई खोडाभाई पटेल का बीमा संख्या 3704600306 है। उनके परिवार में कुल सात सदस्य हैं। श्री दिनेशभाई की मासिक आमदनी 20,000 रूपये थी। श्री दिनेशभाई गांधीनगर जिले के कलोल में स्थित पलियड गाँव के थे। उनके परिवार में उनके माता–पिता, बहन और पत्नी के अलावा एक 7 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है। श्री दिनेशभाई गांधीनगर में मैसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड में कार्यरत थे। गाँव में कुछ खेती के अलावा सिर्फ श्री दिनेशभाई के सहारे ही घर चल रहा था। दिनांक 28.01.2020 को सुबह 9:30 बजे नौकरी पर पहुंचने के कुछ देर बाद उनको हार्टअटैक आया। तुरंत उनके सहकर्मी उनको गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल ले गए जहां उनको मृत घोषित किया गया। इससे पहले उनको ऐसी कोई दिल की बीमारी नहीं थी। 34 वर्षीय श्री दिनेशभाई की अकाल मृत्यु परिवार के लिए भी हार्टअटैक से कम नहीं थी। 6 वर्ष की नौकरी के दौरान श्री दिनेशभाई ईएसआईसी के तहत पंजीकृत थे जिस कारण उनके देहांत के बाद उनके परिवार को तुरंत रू.15,000/– अंतिम क्रिया खर्च के रूप में भुगतान शाखा कार्यालय खोखरा से दिया गया। तदोपरांत उनकी कंपनी ने अकस्मात अहेबाल भरा था जिसकी जांच के बाद उनकी मृत्यु को क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात द्वारा रोजगार संबंधित मृत्यु के रूप में स्वीकृत किया गया और उनके परिवार में उनकी पत्नी तथा दोनों बच्चों को उनके आश्रित के रूप में मानकर माह के लगभग 17 हजार रुपये का आश्रितजन हितलाभ नकद के रूप में उनके बैंक खाते में मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा उनकी पत्नी को चिकित्सा हितलाभ वार्षिक रू.120/–की दर से भुगतान मिल सकेगा। श्री दिनेशभाई की विधवा श्रीमती पारुलबेन कहती है "इस पेंशन से मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई एवं मेरे परिवार के निर्वाह में सहायता मिलेगी। इसके लिए मैं ईएसआईसी एवं सरकार की खूब आभारी हूँ" ।

श्रीमती पारूलबेन एवं उनके बच्चे

सौजन्यः रीषभ नौतमकुमार कटारीया,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, खोखरा

24 श्री जिग्नेश बादलशाही – बीमा संख्या: 3713088724 (जामनगर शाखा कार्यालय)

श्री जिग्नेश बादलशाही

मैसर्स ओरिएंट अब्रेसिव, पोरबंदर की एक कंपनी है जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जामनगर शाखा कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दिनांक 11.10.2020 को वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी श्री जिग्नेश बादलशाही को व्यापारिक मशीन पर काम करते हुए दाहिने हाथ में चोट लग गई । इस कर्मचारी के पास ईएसआईसी की सुविधा उपलब्ध थी। चोट लगने की वजह से वह अगले पाँच दिनों तक अपना कार्य करने में असक्षम था, अतः वो अपने कार्यस्थल पर नहीं जा सका। जिसके एवज में ईएसआईसी द्वारा उसे प्रतिदिन 298/– के हिसाब से कुल रूपये 1490/– अस्थाई अपंगता हितलाभ के तहत प्रदान किए गए।

पुनः दिनांक 06.11.2020 को वह बीमार पड़ गए जिसकी वजह से वह अगले 49 दिनों तक अपना कार्य करने में असक्षम रहा। इस मुश्किल की घडी में ईएसआईसी के द्वारा रूपये 232/– प्रतिदिन के हिसाब से कुल रूपये 11,368/– बीमारी हितलाभ के तहत प्रदान किये गये।

श्री जिग्नेश बादलशाही ने इस मुश्किल वक्त में उनके व उनके परिवार का आर्थिक रूप से ख्याल रखने के लिए ईएसआईसी का सधन्यवाद आभार प्रकट करते हुए, हमें एक पत्र के द्वारा इस जानकारी सेअवगत करवाया।

सौजन्य: जतीन, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, जामनगर

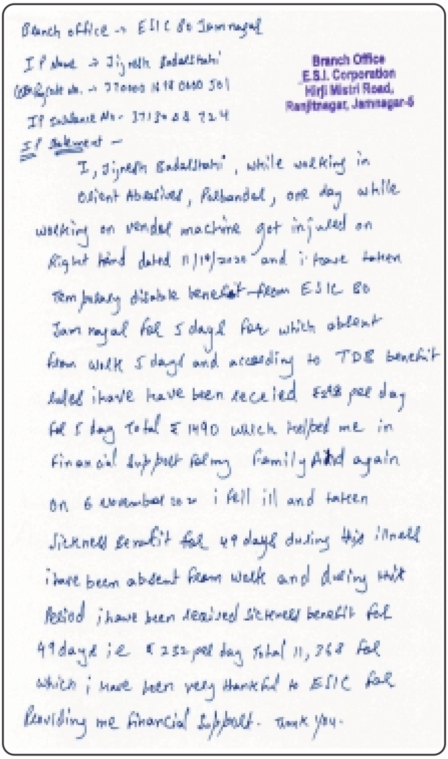

Branch office → ESIC BO Jamnagar
IP Name → Jignesh Badalshahi
[illegible] no. → 37000 1418 0000 501
IP Insurance No. - 3713088724
IP Statement –
I, Jignesh Badalshahi, while working in Orient Abrasives, Porbandar, one day while working on vendor machine got injured on Right hand dated 11/10/2020 and i have taken Temporary disable benefit from ESIC BO Jamnagar for 5 days for which absent from work 5 days and according to TDB benefit rules i have have been received ₹298 per day for 5 day total ₹ 1490 which helped me in financial support for my family. And again on 6 November 2020 i fell ill and taken sickness benefit for 49 days during this illness i have been absent from work and during this period i have been received sickness benefit for 49 days i.e. ₹ 232 per day total 11,368 for which i have been very thankful to ESIC for providing me financial support. Thank you.

Branch Office
E.S.I. Corporation
Hirji Mistri Road,
Ranjitnagar, Jamnagar-6

25 श्रीमती दक्षाबेन – बीमा संख्या 3700000809 (असारवा शाखा कार्यालय)

श्रीमती दक्षाबेन

श्रीमती दक्षाबेन जिनका बीमा संख्या 3700000809 है, जीआईएसएफ में महिला सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करती है। वह पल्मोनरी हाइपरटेंशन और फेफड़ो के रोग से पीड़ित है। ईएसआई मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर इस शाखा कार्यालय ने उनको दिनांक 19.10.2019 से बीमारी हितलाभ देना शुरू किया परन्तु उनकी बीमारी लम्बी चली इसलिए मेडिकल रेफरी की रिपोर्ट के बाद उनके मामले को विस्तारित बीमारी हितलाभ में बदल दिया गया जो शुरू में 124 दिन के लिए था और इसके बाद इसे 309 दिन के लिए बढ़ा दिया गया।

अभी भी उनकी बीमारी चल रही है इसलिए उनकी हेल्थ रिपोर्ट एवं मेडिकल रेफरी की जांच के पश्चात एम.आर. की रिपोर्ट के अनुसार उनके विस्तारित बीमारी हितलाभ को 309 दिन से बढ़ाकर 730 दिन करने की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उनके मामले को मंजूरी प्रदान करते हुए उनके विस्तारित बीमारी हितलाभ को 309 दिन से बढ़ाकर 730 दिन कर दिया गया और उनको अब समय अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

श्रीमती दक्षाबेन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह शाखा कार्यालय नहीं आ सकती। उनके पति श्री राजेन्द्रभाई परमार और उनकी बेटी 4 फरवरी, 2021 को शाखा कार्यालय में आए। जहाँ उन्होंने बताया कि वे शाखा कार्यालय के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और शाखा कार्यालय के कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिल रहा है और उनको ईएसआईसी से नियमित भुगतान और मेडिकल उपचार मिल रहा है।

श्रीमती दक्षाबेन के पति एवं पुत्री

उन्होंने ईएसआईसी और शाखा कार्यालय के स्टाफ के प्रति बहुत आभार जताया। इन हालातों में ईएसआईसी द्वारा दिए गए हितलाभ और ईएसआईसी के काम से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस बात का पता उनके फोटो और विडियो से चलता है। ईएसआईसी ने इन हालातों में जो मदद की है उससे इलाज के खर्च में बहुत मदद मिली है और उनकी बेटी की पढ़ाई और उससे जुडे सभी खर्च में भी बहुत आर्थिक सहयोग मिला।

सौजन्य:
प्रेरणा के. कोठारी, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, असारवा

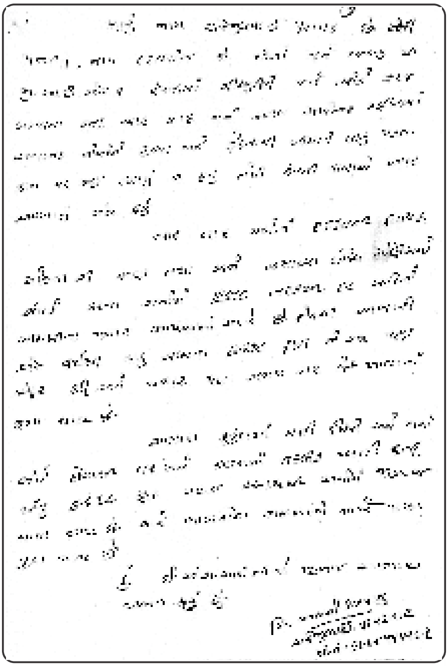

26 श्री वसंतभाई वाणिया – बीमा संख्या 3701449596 (असारवा शाखा कार्यालय)

श्री वसंतभाई वाणिया जिनका बीमा संख्या 3701449596 है, जीआईएसएफ में सुरक्षाकर्मी के रूप में वर्ष 1997 से काम करते थे। वर्ष 2019 में वह हेमीप्लेजियासो बीमारी से पीड़ित हो गए। डिस्पेंसरी द्वारा जारी ईएसआई मेडिकल प्रमाण पत्रों के आधार पर शाखा कार्यालय, असारवा ने उनको दिनांक 16.09.2019 से बीमारी हितलाभ देना शुरू किया लेकिन उनकी बीमारी बढ़ गई और वे काम करने लायक नहीं रहे इसलिए उनके नियोजक ने उनका वेतन रोक दिया। इसलिए मेडिकल रेफरी की रिपोर्ट के बाद शुरू में उनके मामले को 124 दिन तक विस्तारित बीमारी हितलाभ में बदल दिया गया। अभी भी वह बीमार थे इसलिए उनकी हेल्थ रिपोर्ट व मेडिकल रेफरी की जांच के बाद उनके विस्तारित बीमारी हितलाभ को मेडिकल रेफरी द्वारा ऑनलाइन पास कर 124 दिन से बढ़ाकर 309 दिन कर दिया गया। अब उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है।

श्री वसंतभाई वाणिया की हालत ठीक नहीं होने की वजह से वह शाखा कार्यालय नहीं आ सके इसलिए उनकी पत्नी श्रीमती प्रफुलाबेन और उनकी बेटी 4 फरवरी, 2021 को शाखा कार्यालय में आए। जहाँ उन्होंने बताया कि वे शाखा कार्यालय के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं और शाखा कार्यालय के कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिल रहा है और उनको ईएसआईसी से नियमित भुगतान और मेडिकल उपचार मिल रहा है। उन्होंने ईएसआईसी और शाखा कार्यालय के स्टाफ के प्रति बहुत आभार जताया। इन हालातों में ईएसआईसी द्वारा दिए गए हितलाभ और ईएसआईसी के काम से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं इस बात का पता उनके फोटो और विडियो से चलता है। ईएसआईसी ने इन हालातों में जो मदद की है उससे इलाज के खर्च में बहुत मदद मिली है और उनकी बेटी की पढ़ाई और उससे जुड़े सभी खर्च में भी बहुत आर्थिक सहयोग मिला।

सौजन्य: प्रेरणा के. कोठारी, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, असारवा

श्री वसंतभाई वाणिया

श्री वसंतभाई वाणिया की पत्नि एवं पुत्री

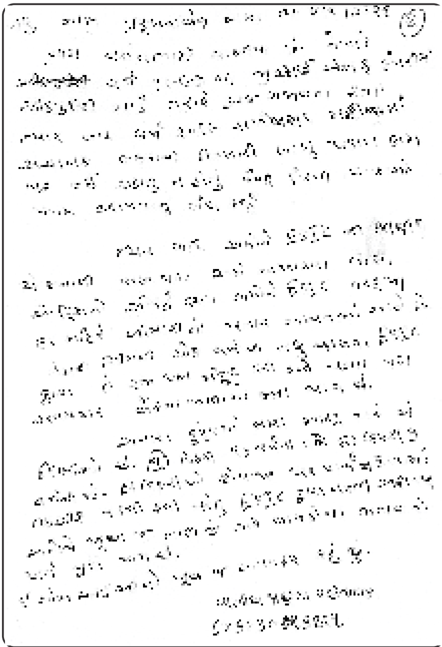

27 श्री राजेश परमार – बीमा संख्या 3711433885 (जमालपुर शाखा कार्यालय)

श्री राजेश परमार जिनका बीमा संख्या 3711433885 है, मैसर्स एच.डी. सर्विसेज (लेबर सप्लायर) में काम करते थे। दिनांक 11.01.2019 को घर लौटते समय उनके साथ दुर्घटना हो गई। वे आईसीआईसीआई बैंक वस्त्रापुर में तैनात थे। तुरंत राहत के रूप में उन्हें बीमारी हितलाभ का भुगतान कर दिया गया और इसके बाद उनके मामले की जांच की गई और मामले को रोजगार चोट के रूप में मंजूरी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा गया। उनके मामले को क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी मिल गई और उनकी दैनिक मंजदूरी का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान उनको अस्थाई अपंगता हितलाभ के रूप में किया गया, जिसे उनको पूर्व में दिए गये बीमारी हितलाभ में शामिल कर दिया गया। उनके सिर में चोट आई थी इसलिए वे कई दिनों तक बेहोशी की हालत में रहे। उनको इस दुर्घटना के कारण कुछ असक्षमताएं हो गई। उनके द्वारा किये गये मेडिकल बोर्ड के आवेदन के बाद उनके मामले को मेडिकल बोर्ड के लिए भेजा गया। मेडिकल बोर्ड ने उनको 25 प्रतिशत अपंगता का प्रमाण पत्र दिया और इसके बाद उनको स्थाई अपंगता हितलाभ दिया जा रहा है। अब उनको रूपये 4000 मासिक पेंशन मिलती है और वे मैसर्स एच.डी. सर्विसेज में काम कर रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक वस्त्रापुर में तैनात हैं।

श्री राजेश परमार एवं उनकी माता

श्री राजेश परमार और उनकी माता सहित कुल दो सदस्य परिवार में हैं। उनकी माता एक गरीब अशिक्षित महिला हैं जिनके पति युवा अवस्था में ही गुजर गये थे। अपनी संतान को बड़ा करने के लिए उनकी माताजी ने मजदूरी का काम किया। श्री राजेश की दुर्घटना ने उनको विचलित कर दिया। बिना किसी मदद के वे श्री राजेश को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर गई। जिसके लिए ईएसआईसी ने उनको हितलाभों का भुगतान किया। इन सब के लिए उनकी माताजी बहुत आभारी हैं। वह कहती हैं कि अगर ईएसआई ने उनको इलाज और पैसे की मदद न की होती तो उनको व उनके बेटे के जीवन को बचाने में मुश्किल हो जाती। आज यह परिवार एक मासिक पेंशन के सहारे एक इज्ज़त की जिन्दगी जी रहा है और श्री राजेश ने दुबारा काम करना शुरू कर दिया है और उन्हें वेतन मिलने लग गया है।

सौजन्यः
मीना नायर, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, जमालपुर

28 श्री भरत ठाकोर – बीमा संख्या 3710994477 (जमालपुर शाखा कार्यालय)

श्री भरत ठाकोर जिनका बीमा संख्या 3710994477 है। वे मैसर्स केविन कंसल्टेंट्स (लेबर सप्लायर) (नियोजक संख्या 37001051380001001) में काम करते थे। मैसर्स ओटुसका फार्मास्युटिकल के गार्डन एरिया में जब वे काम कर रहे थे तभी उनके साथी कामगारों ने उनको वहाँ बेहोशी की हालत में पाया। उन्हें तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल, बोपल के आईसीयू व ट्रौमा सेंटर में ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना रिपोर्ट तैयार की गई और उसे शाखा कार्यालय, जमालपुर में प्रस्तुत किया गया। मामले को रोजगार के दौरान मृत्यु के रूप में स्वीकार किया गया। अतः उनको आश्रितजन हितलाभ की मंजूरी प्रदान कर दी गई और उनकी विधवा पत्नी को अंत्येष्टि हितलाभ का भी भुगतान किया गया। श्री ठाकोर की विधवा पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 8 और 9 वर्ष थी, बेसहारा हो गये क्योंकि उस परिवार में श्री भरत ठाकोर ही कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे। ईएसआईसी ने उनको सहारा दिया और उनके परिवार को 16.10.2019 से आश्रितजन हितलाभ की मंजूरी मिल गई।

श्रीमती जयाबेन (पत्नि)
(स्व. श्री भरत ठाकोर)

उनका परिवार एक छोटे से कस्बे लिलियापुरा में रहता है। परिवार को अब प्रतिमाह आश्रितजन हितलाभ के रूप में लगभग रूपये 8000/– मिलते हैं। श्री ठाकोर की विधवा पत्नी श्रीमती जयाबेन के अनुसार इस हितलाभ ने उनके बच्चों को बहुत सहारा दिया और पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद मिल रही है। वे खेतों में काम करती हैं और उनका भरण–पोषण हो रहा है। ईएसआईसी द्वारा भुगतान किए गये हितलाभों के कारण वह और उनके बच्चे इज़्ज़त का जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए वह ईएसआईसी के प्रति आभारी और अहसानमंद है।

स्व. श्री भरत ठाकोर के पुत्र

सौजन्य:
मीना नायर, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, जमालपुर

29 श्री शैलेषकुमार करसनभाई परमार – बीमा संख्या 3712182553 (दरियापुर, शाखा कार्यालय)

श्री शैलेषकुमार करसनभाई परमार (बीमा सं. 3712182553) जो उगमना दरवाजा, चनासमा, गुजरात के निवासी थे। उन्होंने बीमा योग्य रोजगार में नवम्बर 2017 में सुरक्षा गार्ड के रूप में मैसर्स सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन सिक्यूरिटी सर्विसेज लिमिटेड, अहमदाबाद में काम करते हुए प्रवेश किया था। मात्र 2 साल के अन्दर ही 38 साल की उम्र में 16 जून, 2019 को जब वह काम कर रहे थे, उनकी अचानक हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे अपनी मां और गर्भवती पत्नी को छोड़कर चले गए। उनकी मौत के बाद परिवार के आश्रित लोग, जो पूरी तरह से उन पर आश्रित थे, घर चलाने में असमर्थ हो गये।

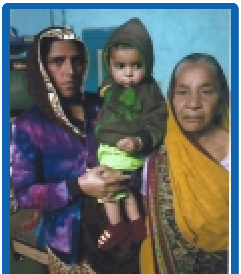
स्व. श्री शैलेषकुमार परमार की माता, पत्नि एवं पुत्री

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बीमित होने के कारण उनकी मृत्यु को न केवल रोजगार चोट के रूप में स्वीकार किया गया बल्कि उनके आश्रितों को ईएसआईसी से आश्रितजन हितलाभ के तहत आज प्रतिमाह रूपये 14,510/– (चौदह हजार पाँच सौ दस रूपये) की दर से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन दी जा रही है जो उनकी मृत्यु के अगले दिन से ही लागू है। उक्त पेंशन की राशि में से उनकी पत्नी श्रीमती मधुबेन (36 वर्ष) को रूपये 6218/– प्रतिमाह की दर से दिनांक 17 जून, 2019 से लेकर जीवन पर्यंत मिलते रहेंगे। इसी प्रकार उनकी माताजी श्रीमती कंकुबेन (74 वर्ष) को रूपये 4146/– प्रतिमाह की दर से दिनांक 17 जून, 2019 से लेकर जीवन पर्यंत मिलते रहेंगे एवं उनकी एक साल की बेटी कुमारी नैन्सी को रूपये 4146/– की दर से उसकी जन्म दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 से लेकर विवाहपर्यंत मिलते रहेंगे।

सौजन्य: जयप्रकाश, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, दरियापुर

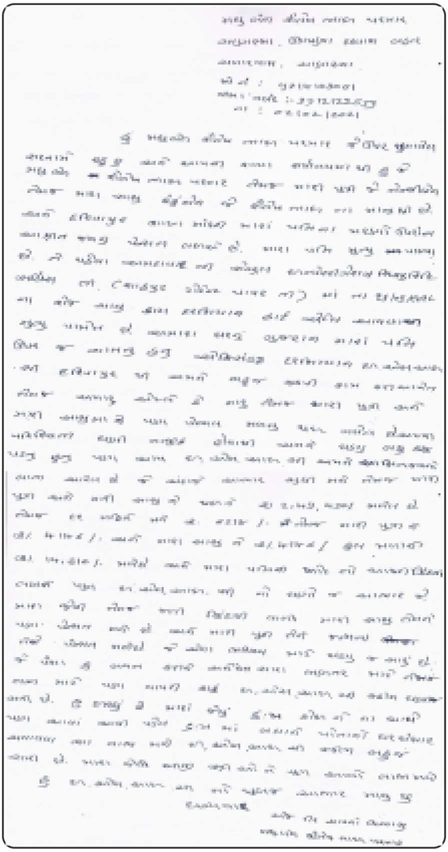

30 श्री दिवेश प्रजापति – बीमा सं.3711574758 (दरियापुर, शाखा कार्यालय)

श्री दिवेश प्रजापति

श्री दिवेश प्रजापति (बीमा सं. 3711574758) मूलसन गाँव महेसाणा, गुजरात के निवासी थे। उन्होंने बीमा योग्य रोजगार में 2016 में मीटर रीडर के रूप में मैसर्स टोरेंट पॉवर लिमिटेड में काम करते हुए प्रवेश किया। दिनांक 30.05.2020 को वह रोज की तरह सुबह से अपने काम के लिए अपने घर से निकले लेकिन रास्ते में कार्यालय पहुँचने से पूर्व ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गये और उन्हें अस्पताल जाना पडा। गंभीर चोट लगने और डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट दिए जाने के कारण उन्हें 4 माह से ज्यादा तक छुट्टी लेनी पड़ी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बीमित होने के कारण उनकी दुर्घटना को न केवल रोजगार चोट के रूप में स्वीकार किया गया बल्कि उन्हें ईएसआईसी से अस्थायी अपंगता हितलाभ के तहत कुल रूपये 39,905 सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान कर दिए गए जो कि उनके द्वारा प्राप्त दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर हैं। यह राशि उनकी दुर्घटना के अगले दिन से लेकर पुनः काम पर जाने तक दी गई।

इतना ही नहीं उनके आवेदन को मेडिकल बोर्ड में भेजा गया और यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है तो उन्हें ईएसआईसी के स्थाई अपंगता हितलाभ के अंतर्गत मासिक पेंशन भी दी जा सकती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा न केवल अपने बीमित कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है अपितु निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक हितलाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं।

सौजन्यः जयप्रकाश, शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, दरियापुर

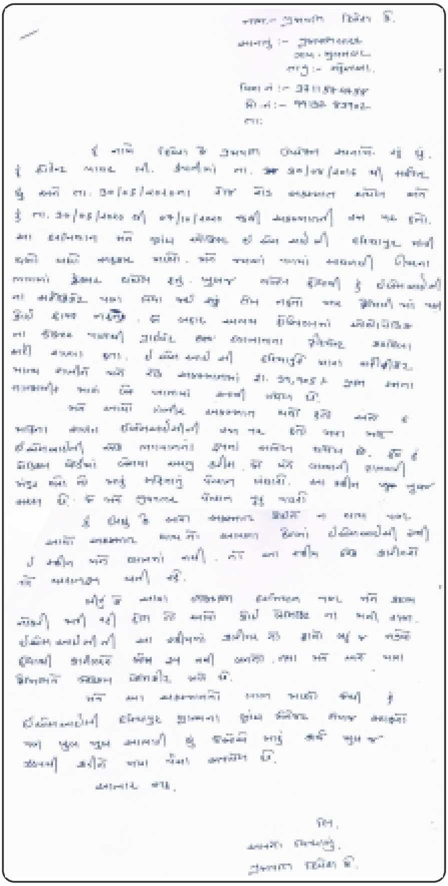

31 श्री कुरैशी मुज्ज़फर मयुद्दीन – बीमा सं. 3710462406 (सिटी शाखा कार्यालय)

श्री कुरैशी मुज्ज़फर मयुद्दीन

श्री कुरैशी मुज्ज़फर मयुद्दीन (बीमा सं. 3710462406) एक आईटीआई पास उम्मीदवार हैं। वे दिनांक 03.09.2012 से 30.06.2020 तक अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में काम करते थे। वे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। ग्लोबल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2020 में कोरोना संकट के चलते ऑफिस में बजट की कमी की वजह से उनको दिनांक 30.06.2020 को काम से निकाल दिया गया। जिसकी वजह से उनको जीवन जीने में बहुत कठिनाई का सामना करना पडा और वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। तभी उनको ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में पता चला। उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए ईएसआई के ऑफिस में जरुरी दस्तावेज जमा करवाए। इसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ मिला।

यह योजना उनके लिए मुसीबत के वक्त में आर्थिक आशीर्वाद साबित हुई जिसके चलते उनको दो महीने का आधा वेतन रूपये 15,000/– की सहायता मिली। उनके अनुसार उन्हें बहुत ही बुरे समय में इस योजना का लाभ मिला जिसके लिए वे बहुत आभारी हैं।

सौजन्यः
रवि धिन्धवाल, शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, अहमदाबाद सिटी

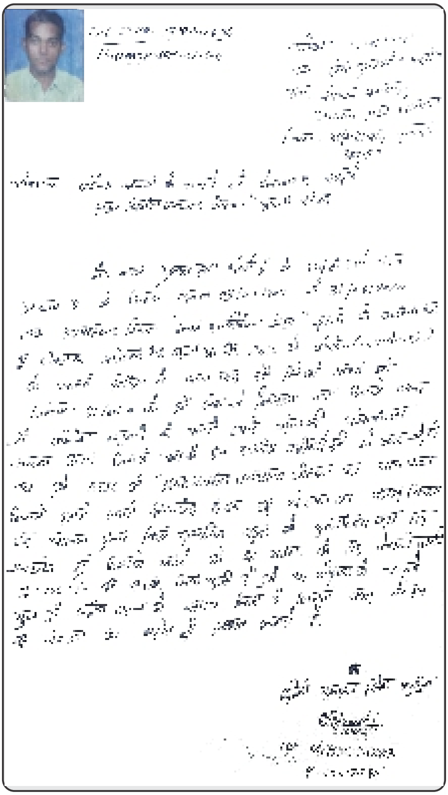

और वो कामगार, जो आज ईएसआईसी के हितलाभो से वंचित हैं...

श्रीमती भानुबेन एच. चौहाण के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और उनकी मासिक आमदनी 5000/– रूपये है। श्रीमती भानुबेन के पति जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, को दो साल से कैंसर था। वह एक छोटी–सी दुकान चलाते थे। किन्तु कैंसर के उपचार के कारण अब वह दुकान नहीं जा पाते थे। उनके ससुर दुकान पर थोड़ा समय बैठकर घर चला रहे थे। उनकी छोटी बच्ची अभी कक्षा 1 में पढ़ती है। घर की स्थिति को देखकर श्रीमती भानुबेन ने काम करने का निश्चय किया और खोखरा स्थित एक निजी स्कूल में सफाई कामगार के तौर पर काम करने लगी। जहाँ उनको मात्र 5 हजार की मासिक आमदनी थी किन्तु उससे घर चलाने में थोड़ी सहायता हो जाती थी। कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से उनकी आमदनी रुक गई। घर में आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। उनके पति का भी कैंसर के कारण अक्तूबर में अवसान हुआ। अब वह अपने सास–ससुर और एक बच्ची का अकेला सहारा है। लॉकडाउन में उनको आमदनी का स्त्रोत ना मिलने की वजह से समय पर अपने पति का इलाज नहीं करवा सकी जिसकी वजह से कैंसर शरीर में फैल गया और पति की मृत्यु हो गई। श्रीमती भानुबेन कहती हैं, "अगर मेरा ईएसआई कट रहा होता तो शायद मेरे पति को बेहतर इलाज और कोरोना काल में मुझे बेरोजगारी भत्ता ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से मिल पाता। मैं चाहूंगी कि मेरा भी ईएसआई कटे और उसके हितलाभ मुझे प्राप्त हों" ।

सौजन्यः रीषभ नौतमकुमार कटारीया,
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, खोखरा

> बीमित आश्रितो को
> **ESIC**
> **Medical**
> **Colleges**
> में प्रवेश की सुविधा।

टॉल-फ्री नं.

1800 11 25 26

मेडीकल हेल्पलाइन नं.

1800 11 38 39

गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **भारत सरकार**)

पंचदीप भवन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात - 380014

(ISO 9001-2008 प्रमाणित)

वेबसाइट: www.esic.nic.in, www.esic.in ईमेल: rd-gujrat@esic.nic.in